न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 19/19 **तारीख दायरा:–30.04.2019**

रोहताश पुत्र बिजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी सैमली तहसील नगर जिला डीग।

----प्रार्थी

बनाम

1. हेमसिंह पुत्र भवंरसिंह
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र भवंरसिंह
3. दयालसिंह पुत्र वालसिंह
4. बाबूसिंह पुत्र वालसिंह (मृतक)

4/1. विष्णुसिंह } पुत्रान बाबूसिंह
4/2. महेश
4/3. विसराम
4/4. विरमा पत्नि बाबूसिंह

5. सत्यासिंह पुत्र वालसिंह
   जातियान ठाकुर निवासी ग्राम सैमली तहसील नगर जिला डीग।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नगर।
7. सुभाषचन्द पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी ग्राम सैमली तहसील नगर।
8. राजू पुत्र बन्नी जाति खाती निवासी ग्राम सैमली तहसील नगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री चरनसिंह चौहान प्रार्थी।

निर्णय **दिनांक:–23.12.2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 194/0.42 बाके ग्राम सैमली तहसील नगर मे स्थित है। जिसके सबूत मे जमाबंदी सवंत 2071–74 पेश की है। जो प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमे जोतने बोने के लिये प्रार्थी खसरा नं0 193/0.50 जो असल अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है की डोल से होकर पहुचता है। अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है, इसलिये प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को जोतने बोने के लिये व फसल लाने ले जाने मे अप्रार्थीगण आये दिन विवाद व झगडा करते है। इसलिये प्रार्थी को खसरा नं0 193/0.50 बाके ग्राम सैमली मे से 30 फुट चोडा रास्ता देने का अप्रार्थीगण से निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.4.2019 को इन्कार कर दिया और स्पष्ट धमकी भी दे दी कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी 194 मे पहुचने के लिये कोई भी रास्ता नही देगा जिसके कारण विनाय मुखासमत विरूद्व अप्रार्थीगण पैदा हुई।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी आराजी खसरा नं0 194/0.42 बाके ग्राम सैमली तहसील नगर मे जाने के लिये आराजी खसरा नं0 193/0.50 बाके ग्राम सैमली मे से 30 फुट चौडा रास्ता सृजित कर तहसीलदार नगर को आदेशित फरमाया जावे कि वह वाटर बॉक्स सैनी मौहल्ला को जाने वाली सडक से पश्चिम बिन्दु से खसरा नं0 193 मे

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

रोहताश पुत्र बिजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी

होकर 30 फुट चौडा रास्ता खसरा नं0 194 तक पहुचने हेतु राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करे एंव इसी प्रकार नक्श ट्रेस मे भी रास्ता अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। परन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थना पत्र के संबंध मे तहसीलदार नगर द्वारा अपने पत्र कमांक/भू.अ./24/1354 दिनांक 12.06.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व तहसीलदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया।

तहसीलदार नगर ने अपनी रिपोर्ट व सलंग्न नजरी नक्शा मे आराजी खसरा नं0 194 के लिये सर्वाधिक उपयुक्त रास्ता खसरा नं0 195 मे से होते हुए निकल सकता है, लेकिन मौके पर आबादी बसी हुई होने के कारण खसरा नं0 195 मे से रास्ता दिया जाना संभव नही है। खसरा नं0 195 के पश्चिम तरफ आ0ख0नं0 192 किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नं0 192 के पूर्व की तरफ आ0ख0नं0 193 मे से खसरा नं0 194 के लिये रास्ता दिया जाना सर्वाधिक उपयुक्त है। जिसमे 5•36 मीटर यानि कुल 180 वर्गमीटर रास्ता दिया जा सकता है। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 07, 08 ने हस्ताक्षर किये तथा मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई जिस पर उन लोगो द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये। प्रस्तावित रास्ता का नजरी नक्शा निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है——

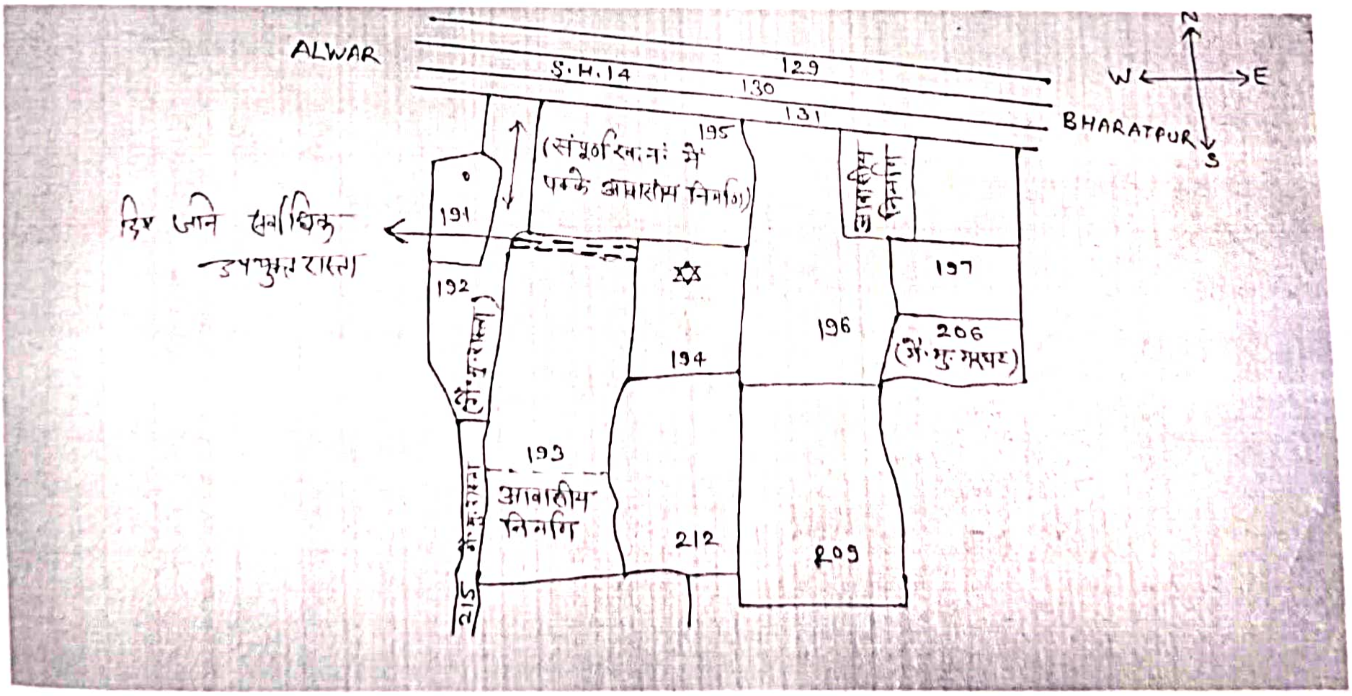

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251(क) मे प्रावधान है कि– "अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाइन विछाना या अन्य मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भुमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐस अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें ओर उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिंप्त जॉच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

1. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही हैः और
2. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

पत्रावली व तहसीलदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नगर स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के आराजी खसरा नंबर 194 के लिये खसरा नं0 193 बाके ग्राम सैमली तहसील नगर के उत्तर दिशा मे से 5 मीटर चौडा व 36 मीटर लम्बा रास्ता प्रदान किया जावे इसी प्रकार उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता अंकित किया जावे। तथा अप्रार्थीगण की आराजी के डी.एल.सी. रेट के दोगुने के हिसाब से राशि का आंकलन कर राशि प्रार्थी से अप्रार्थीगण को मुताबिक हिस्सा अदा कराई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार नगर को वास्ते पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/12/24

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग)

फोन नं.–05641–243053 email id-sdm.nagar@gmail.com

क्रमांक/राजस्व/24/16 दिनांकः– ~~24.12.2024~~ 24.01.2025

तहसीलदार
नगर।

विषयः– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) वउनवानी रोहताश बनाम हेमसिंह बगै0 मे निर्णय दिनांक 23.12.2024 की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) वउनवानी रोहताश बनाम हेमसिंह बगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 23.12.2024 की प्रमाणित प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है। यदि प्रकरण मे किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही हो तो निर्णय अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट अन्दर 07 दिवस इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नगर(डीग)